भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-863
जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

कोयले की कमी का प्रभाव

863. श्रीमती नुसरत जहां:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के विभिन्न हिस्सों में कई ताप संयंत्रों को कोयले की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोयले की कमी के कारण कई राज्यों में बिजली आपूर्ति अत्यधिक बाधित हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार, ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपीज) के पास उपलब्ध कोयला स्टॉक 25.6 मिलियन टन (एमटी) था, और दिनांक 14.07.2022 तक की स्थिति के अनुसार, यह बढ़कर 28.3 एमटी हो गया, जो टीपीपीज द्वारा बनाए रखने हेतु अपेक्षित निर्देशात्मक कोयला स्टॉक का लगभग 50% है। दिनांक 14.07.2022 तक की स्थिति के अनुसार, उपलब्ध स्टॉक टीपीपीज को 85% संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) पर औसतन 10 दिन तक चलाने के लिए पर्याप्त है। संयंत्र-वार स्टॉक की निगरानी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा की जाती है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022-23 (अप्रैल-जून) के दौरान, 404.76 बिलियन यूनिट (बीयू) की मांग की तुलना में, 400.65 बीयू ऊर्जा की आपूर्ति की गई थी। आपूर्ति में यह अंतर आम तौर पर देश में विद्युत की अपर्याप्त उपलब्धता के बजाए अन्य कारकों के कारण था, जो वितरण नेटवर्क में बाधाएं, वित्तीय बाधाएं, वाणिज्यिक कारण, उत्पादन यूनिटों की जबरन बंदी आदि हैं।

सरकार ने निर्बाध विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत संयंत्रों को सुचारु कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं हैं:

(i) विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) तथा सिंगरैनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के प्रतिनिधियों का एक अंतर-मंत्रालयी उप-समूह ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रचालनात्मक निर्णय लेने के साथ-साथ विद्युत संयंत्रों में कोयला स्टॉक की संकटपूर्ण स्थिति को कम करने सहित विद्युत क्षेत्र से संबंधित किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए नियमित बैठकें आयोजित करता है।

(ii) कोयला आपूर्ति और विद्युत उत्पादन क्षमता के संवर्धन के संबंध में मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोयले की मध्यावधि एवं दीर्घावधि मांग पूरी की जा सके, एक सचिव स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति स्थापित की गई है। आईएमसी में सदस्यों के रूप में अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, सचिव, कोयला मंत्रालय, सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा संयोजक के रूप में सचिव, विद्युत मंत्रालय शामिल हैं।

(iii) विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 28.04.2022 के का.ज्ञा. द्वारा विद्युत संयंत्रों को वर्ष 2022-23 के दौरान ब्लैंडिंग कार्य के लिए कोयला आयात करने की सलाह दी है।

(iv) सीआईएल ने टीपीपीज को सड़क-सह-रेल (आरसीआर) मोड में लगभग 16 एमटी कोयला आबंटित किया है।

(v) रेलवे ने गुड शेड साइडिंग (जीएसएस) तथा निजी वाशरी (पीडब्ल्यू) से कोयले की लोडिंग के लिए विद्युत क्षेत्र को वरीयता देने का आदेश दिया है।

****